

संचालनालय  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/ई-2/उर्व./पी-4/420-25/420/ 233  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30 /01/2025

M/s Prithvi Agro Life,  
5/6, SR Compound, Lasudiya Mori, Dewas Naka,  
Near Flips Godown, Indore, 452010

विषय:- अकार्बनिक एवं सूक्ष्म तत्व उर्वरकों के राज्य स्तरीय थोक विक्रय हेतु प्राधिकार पत्र प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2024.

उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि आपकी कंपनी को अकार्बनिक एवं सूक्ष्म तत्व उर्वरकों के थोक विक्रय हेतु राज्य स्तरीय प्राधिकार पत्र (ए-2 फार्म) क्रमांक 758/Micro/24, दिनांक 21.01.2025, वैधता दिनांक 20.01.2030 तक प्रदाय किया जाता है। यह प्राधिकार पत्र निर्दिष्ट तिथि वैध रहेगा जब कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानुसार इसको निलंबित अथवा निरस्त नहीं किया जाता है।

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के सभी प्रावधानों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। उर्वरकों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देवें एवं उर्वरकों के वितरण की मासिक जानकारी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक संबंधित जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड-24 में निहित प्रावधान अनुसार उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड-24 में निहित प्रावधान अनुसार उर्वरकों की गुणवत्ता के लिये Shri Anuj Singh Pundhir, Production and Quality Head, M/s Prithvi Agro Life, 5/6, SR Compound, Lasudiya Mori, Dewas Naka, Near Flips Godown, Indore, 452010 जिम्मेदार रहेंगे।

संलग्न:- प्राधिकार पत्र (ए-2 फार्म)

संयुक्त संचालक (उर्वरक)  
एवं अधिसूचित प्राधिकारी  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास  
मध्यप्रदेश भोपाल  
भोपाल, दिनांक 30 /01/2025

क्रमांक/ई-2/उर्व./पी-4/420-25/420/ 234  
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जहांगीराबाद, भोपाल।
- 2- उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला - (समस्त), म.प्र.।

संयुक्त संचालक (उर्वरक)  
एवं अधिसूचित प्राधिकारी  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास  
मध्यप्रदेश भोपाल